रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2000/पौष 22, 1921
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2000/PAUSA 22, 1921

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2000

सा. का. नि. 34(अ).—केन्द्र सरकार की मान्यता है कि इस अधिसूचना में ऐसा करना जनहित में उचित है, इसलिए अब केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 1967 के पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के जिनके विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय में अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में की गई अथवा करने से लोप हो गई कार्यवाहियों के लिए आपराधिक आरोप लंबित हैं, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (2) के खण्ड (च) और धारा 10 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के प्रचालन से मुक्त करती है। जैसा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता है, ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए उनके विभाग से अपना अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना वांछनीय होगा।

[फा. सं. VI/401/53/99]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2000

G. S. R. 34(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest to do so as specified in this notification Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 22 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby exempts all Government servants against whom criminal charges are pending in any court in India for acts done or omitted to be done by them in the discharge of their official duties from the operation of clause (f) of sub-section (2) of section 6 and clause (e) of sub-section (3) of section 10 of the said Act A certificate from their department conveying their 'No Objection' to the issue of passport to such officials would be required as in all cases of Government servants.

[F No VI/401/53/99]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

115 GI/2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

IndiaCode